

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू-अधिनियम 1956

निर्णय:-

दिनांक:- 6.3.18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री शुक्रवार ने ग्राम शुक्रवार को भूमि ख.न. 889 / 1023 रकबा 0.25 किस्म फसल फसल खरी/खरीक संवत् 2074 म. पत्र कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 (3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जवाब में उसके द्वारा शपथ पत्र/प्रार्थना पत्र पेश कर अतिक्रमित रकबा को छोड़ने हेतु लिखकर दिया जो संलग्न पत्रावली किया गया है व मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 889 / 1023 रकबा 0.25 किस्म फसल वाके ग्राम शुक्रवार से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 5.00 रु 50 गुणा 250 शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल पत्र को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को नष्ट/नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हो। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसुली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

रजिस्टर म/घ के पेज नं० 112 पर
 वर्ष 2017-18 में मीलामी
 की राशि 250 रु के
 की जमा 250 रु के
 दिनांक 12/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
 तहसील-महुवा

मांग
 नायब तहसीलदार
 महवा (दोसा)